U;k;ky; HkwizcU/k vf/kdkjh ,o inu
jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj
egkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 08@2021

1- ekykjke iq= jkethyky tkfr tkV fuoklh u'ky NksVh rglhy jktx<p# :A

vihykUV

cuke

1. धर्मपाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजगढ जिला चूरू । ।

jLikWUMsUV

mifLFkr%& 1. श्री चन्द्रभान कुलरिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोपीराम सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; lgk;d dyDVj jktx< ftyk p: d

fu.k; o vfre fMØh fnukd 22-02-2018 d fo:} vihy

vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः— 05.08.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलटर राजगढ जिला चूरू के निर्णय व अतिंम डिक्री दिनांक 22.02.2018 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि सामुहिक खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादी/प्रतिवादी अपना कब्जाकाश्त के अनुसार अलग खाता विभाजन करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक वाद प्रस्तुत किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का 1/3 हिस्सा का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार आवागमन के लिये रास्ता रखते हुए खाता विभाजन कर रेकार्ड में अलग से अंकन करने का आदेश दिया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि खाता सं0 200 ख0न0 18 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 19 तादादी 13.17 हैक्टयर, ख0न0 505 तादादी 0.35 हैक्टयर, ख0न0 542 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 543 तादादी 7.65 हैक्टयर, ख0न0 725 तादादी 0.56 हैक्टयर, ख0न0 737 तादादी 4.01 हैक्टय कुल तादादी 25.76 हैक्टयर वाके रोही ग्राम नेशल तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है वादगत कृषि भूमियों में अपीलांट/वादी प्रत्येक 1/3 –1/3 हिस्सेदार काश्तकार है । वादगत कृषि भूमि का खाता सांझा होने के कारण सभी पक्षकारों में वरवक्त काश्त आपस में झगड़ा रहने लगा जिस कारण से अपीलांट/वादी वादगत कृषि भूमि में अपना हिस्से की भूमि का भलि प्रकार काश्त कर पूरा फायदा नही ले पा रहे थे जिस कारण अपीलांट/वादी ने वादगत कृषि भूमियों में से अपना हक हिस्सा हिस्से की खातेदारी भूमियों का खाता अलग से विभाजित करवा कर अपनी खातेदारी में अलग से दर्ज करवाना चाहता था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.17 को वाद वादी स्वीकार कर दिनांक 02.11.17 को अपीलांट/वादी के विवादित कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी व तहसीलदार राजगढ चूरू से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया । तहसीलदार राजगढ ने पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया । हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट/वादी को गुमराह रखकर हस्ताक्षर करवा लिये व विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री व अपीलांट के मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार कर पैश कर दिया । अपीलांट/वादी बीमार रहने के कारण उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति समय पर पेश नही कर पाया जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.18 को अतिंम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी । अपीलांट द्वारा केसीसी बनवाने पर ज्ञात हुआ की अपीलांट/वादी का खाते में से हिस्सा अलग हो चुका है जो प्राथमिक डिक्री के विपरित पेश हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार अपीलांट/वादी के 1/3 हिस्से का मौके के उपर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन के आदेश दिये गये थे व अपीलांट तीनो खेतो में 1/3 1/3 हिस्सा भूमि में मौके पर कब्जा काश्त करता है तथा ख0न0 542 गैर मुमकिन कुंआ जो अपीलांट/वादी के स्वामित्व व उपयोग उपभोग का था जो विभाजन प्रस्ताव अतिंम निर्णय व डिक्री में गैर मुमकिन कुंआ रेस्पो0 के हक हिस्से में दर्ज कर दिया गया व तीनो ही खेतो में अपीलांट/वादी का हक हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त के विपरित दर्ज कर दिया गया जो कानूनन विरुद्ध है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 22.0[illegible] निरस्त करवाने का श्रम करावें ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि खाता सं0 200 ख0न0 18 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 19 तादादी 13.17 हैक्टयर, ख0न0 505 तादादी 0.35 हैक्टयर, ख0न0 542 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 543 तादादी 7.65 हैक्टयर, ख0न0 725 तादादी 0.56 हैक्टयर, ख0न0 737 तादादी 4.01 हैक्टयर कुल तादादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:54:22 IST
Reason: Self Attested

25.76 हैक्टयर वाके रोही ग्राम नेशल तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.17 को वाद वादी स्वीकार कर दिनांक 02.11.17 को अपीलांट/वादी के विवादित कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी व तहसीलदार राजगढ चूरू से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया । तहसीलदार राजगढ ने पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया । हल्का पटवारी द्वारा वादगत भूमि में मौका व कब्जा काश्त के अनुसार सभी काश्तकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाये गये व विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री व अपीलांट व रेस्पो0 के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार हि तैयार कर पेश किया गया । अपीलांट/वादी को प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया किन्तु अपीलांट/वादी व इनके अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय में पेश नही की गयी इसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.18 को अतिंम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी जिसमें ख0न0 18 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 19 तादादी 13.17 हैक्टयर, ख0न0 505 तादादी 0.35 हैक्टयर, ख0न0 542 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 543 तादादी 7.65 हैक्टयर, ख0न0 725 तादादी 0.56 हैक्टयर, ख0न0 737 तादादी 4.01 हैक्टयर कुल तादादी 25.76 हैक्टयर वाके रोही ग्राम नेशल तहसील राजगढ जिला चूरू में वादी का 1/3 हिस्सा का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त अनुसार आवागमन का रास्ता रखते हुऐ खाता विभाजन कर रेकार्ड में अलग से अंकन करने का आदेश पारित किया गया जो विधि संवत है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अतिंम डिक्री व निर्णय दिनांक 22.02.18 को यथावत रखा जावें ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया की खाता सं0 200 ख0न0 18 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 19 तादादी 13.17 हैक्टयर, ख0न0 505 तादादी 0.35 हैक्टयर, ख0न0 542 तादादी 0.01 हैक्टयर, ख0न0 543 तादादी 7.65 हैक्टयर, ख0न0 725 तादादी 0.56 हैक्टयर, ख0न0 737 तादादी 4.01 हैक्टयर कुल तादादी 25.76 हैक्टयर वाके रोही ग्राम नेशल तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है जिसमें अपीलांट/वादी अपने हिस्से की सभी खसरो में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपीलांट/वादी के हक में गैर मुमकिन कुंआ था जो प्राथमिक डिक्री में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर रेस्पो0 का होना बताया जाकर प्रस्ताव भिजवाया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा सभी पक्षकारान को उनकी मौका व कब्जा काश्त की भूमि के अनुसार खाता विभाजन करने हेतु आदेशित किया गया था जो पूर्ण नही किया और ना ही सभी पक्षकारों को [illegible] साक्ष्य व सबुत पेश करने का सम्पूर्ण अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] दिया गया जिसे यह न्यायालय उचित नही समझता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील आशिंक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व अतिंम डिक्री दिनांक

22.02.18 को खारिज किया जाता है एवम अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर (रिमाण्ड) कर आदेशित किया जाता है कि वो सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुऐ उनके हक,हिस्से तथा मौका व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर पूनः निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½

Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested